

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

@ Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 8, 2013 (BHADRA 17, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th September, 2013

No. 26—HLA of 2013/69.—The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 26—HLA of 2013

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) BILL, 2013

A

BILL

to make special provisions for providing essential services in civic amenities and infrastructure deficient municipal areas in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2013.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

Price: Rs. 5.00 (4149)

Detinitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "competent authority" means an authority competent to take legal action for violations, under the provisions of the Haryana Municipal Act. 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act. 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act. 1975 (8 of 1975), the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act. 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Punjab New Capital (Periphery) Control Act. 1952 (Punjab Act 1 of 1953), or any other law for the time being in force;
 - (b) "declared area" means an area declared to be civic amenities and infrastructure deficient area under section 3:
 - (c) "essential services" means water supply, sewerage, roads and street lights;
 - (d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
 - (e) "municipal area" means the municipal area as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) or the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), as the case may be;
 - (f) "municipality" means a municipality as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994);
 - (g) "unauthorized building" means a building that has been erected in contravention of the provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) or any other law for the time being in force.

Declared area.

- 3. The Government may, by notification in the Official Gazette, declare an area within the municipal area to be civic amenities and infrastructure deficient area wherein—
 - (a) construction has taken place on more than fifty percent plots prior to the 30th June, 2009; and
 - (b) a resolution to this effect is passed by the concerned municipality and recommended by the concerned Divisional Commissioner in case of a Municipal Corporation and the Deputy Commissioner in case of a municipality:

Provided that the resolution already passed by the concerned municipality and recommended by the Divisional Commissioner or the Deputy Commissioner, as the case may be, fulfills the criteria, laid down by the Government for regularization of colonies.

(1) Notwithstanding anything contained in any other State law for Enforcement to the time being in force in the State of Haryana, any judgment, decree or order of be kept in any court or any authority to the contrary, any rules, regulations or bye-laws made thereunder, the Government shall within a period of one year from the commencement of this Act, take all possible measures to finalise norms, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of civic amenities and infrastructure deficiencies, in the declared areas.

- (2) All notices and restoration orders passed prior to the commencement of this Act, by any competent authority in the declared area for initiating legal action against persons who have sub-divided the land without authority or have erected or re-erected unauthorized buildings in contravention of provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), or any other law for the time being in force, shall be deemed to have been suspended in the declared area and no further punitive action shall be taken during the aforesaid period of one year, except in the cases forwarded and pending before any court.
- Notwithstanding anything contained in any other State law for the Regularization of time being in force, the concerned municipality under which the declared area plots/buildings. falls, may initiate action for providing essential services in such an area and further the plots or buildings located in the declared area shall, subject to the payment of fee and fulfillment of the terms and conditions within the specified time, as may be prescribed by the Government, be deemed to be regularized.

No person shall be entitled to claim any benefit or relief unless all the Entitlement for terms and conditions as specified by the Government have been fulfilled and requisite fee, as may be prescribed by the Government, has been deposited.

(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against Immunity. any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

- (2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government in respect of any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.
- No civil court shall have the jurisdiction to entertain any suit relating. Bar of jurisdiction. to matters falling under this Act of the rules made thereunder.

Exemptions

- 9. Nothing in this Act shall apply to an area—
 - (a) which is notified/covered under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), the Forest Conservation Act, 1980 (Central Act 69 of 1980), the Environment Protection Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), the Works of Defence Act, 1903 (Central Act 7 of 1903), the Indian Electricity Act, 1910 (Central Act 9 of 1910) or any other Central Act;
 - (b) owned by the Central or the State Government;
 - (c) owned by Boards and Corporations of the Central or the State Government;
 - (d) owned by public sector undertakings constituted under any law;
 - (e) where any industrial unit is located;
 - (f) where any commercial building, mall, multiplex, hotel or banquet hall is located;
 - (g) where any other type of building, as may be prescribed by the Government, is located.

Power to make rules

10. The Government may, by notification in the Official Gazette and subject to previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is committed to provide basic amenities such as water supply, sewerage, electricity and roads to improve the living conditions of the inhabitants of the State.

The Bill seeks to ensure provision of essential services in areas declared to be civic amenities and infrastructure deficient and deal with matters connected therewith.

BHUPINDER SINGH HOODA, Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:

The 8th September, 2013

SUMIT KUMAR, Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 10 of the proposed bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 26-एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2013

हरियाणा राज्य में नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना में तथा उससे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा मंशिज नाम तथा प्रारम्भ। अखसंरचना का प्रवन्धन (विशेष उपवन्ध) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।
- (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा जो सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट करे।
 - 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

परिभाषाए ।

- (क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपवंधों के अधीन उल्लंघन के लिए विधिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी;
- (ख) ''घोषित क्षेत्र'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन अपूर्ण क्षेत्र में नागरिक सुख सुविधाएं तथा अवसंरचना के रूप में घोषित क्षेत्र ;
- (ग) "आवश्यक सेवाएं" से अभिप्राय है, जल आपूर्ति, मल निकास, सङ्कें तथा गली प्रकाश ;
- (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
- (ङ) "नगरपालिका क्षेत्र" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में यथा परिभाषित नगरपालिका, जैसी भी रिश्वति जे .

- (च) ''नगरपालिका'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973)
 का 24) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में यथा परिभाषित नगरपालिका ;
- (छ) "अप्राधिकृत निर्माण" से अभिप्राय है, निर्माण जो हिन्याण नगरपालिका अभिनियम, 1973 (1973 का 24), हिन्याण नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हिन्याण नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्वन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपवंधों के उल्लंघन में निर्मित किया गया है

घोषित क्षेत्र।

- 3. सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपूर्ण क्षेत्र जिसमें नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना के रूप में नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई क्षेत्र घोषित करती है:
 - (क) 30 जून, 2009 से पूर्व पचास प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर संरचना हो चुकी है ; तथा
 - (ख) इस प्रभाव का संकल्प सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा पारित किया गया है तथा नगर निगम की दशा में सम्बद्ध मंडल आयुक्त तथा नगरपालिका की दशा में उपायुक्त द्वारा सिफारिश की गई है :

परन्तु सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा पहले से ही परित तथा मण्डल आयुक्त या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सिफारिश संकल्प उपनिवेशों के नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिकथित मापदंड को पूरा करता है

प्रवर्तमः अय्थापितः स्रवनाः।

- 4. (1) हरियाणा राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के किसी न्याय निर्णय, डिक्री या आदेश तथा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों के प्रतिकृत होते हुए भी, सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अविध के भीतर अपूर्ण घोषित क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंग्चना की समस्या से निपटने के मानकों, पालिसी मार्गदर्शकों तथा साध्य रणनीतियों के सभी संभव उपाय करेगी।
- (2) ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हिरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हिरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्वन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों की उत्लंधना में प्राधिकार के बिना भूमि का उप विभाजन किया है या अप्राधिकृत भवनों को निर्मित या विनिर्मित किया है, के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए घोषित क्षेत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी हारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व सभी नोटिसों तथा पारित व्यवस्था का पुनः स्थापन घोषित क्षेत्र में निलंबित किया गया समझा गएगा तथा भेजे गए तथा किसी न्यायालय के समक्ष मामलों को छोड़कर एक वर्ष की पूर्वोक्त अविधि के बौरान आगे कोई भी पूर्वात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी

- 5. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी. सम्बद्ध लाटों निर्माणों का नगरपालिका जिसके अधीन घोषित क्षेत्र आता है, ऐसे क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नियमितीकरण। कार्रवाई आरंभ कर सकती है तथा आगे घोषित क्षेत्र में प्लाटों या अवस्थित निर्माण, विनिर्दिष्ट समय के भीतर फीस के भुगतांन तथा निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जो सरकार द्वारा विहित की जाए, नियमित किया गया समझा जाएगा।
- 6. कोई भी व्यक्ति किसी लाभ या राहत के दावे का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक नाम के लिए हकदार। सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन तथा शर्तें पूरी न की गई हों तथा अपेक्षित फीस जो सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा न करवाई गई हो।
- 7. (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के संबंध में जो इस अधिनियम या इसके अधीन उन्मृक्ति वनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशियत है कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।
- (2) सरकार के विरुद्ध किसी बात द्वारा की गई या की जाने के लिए सम्भावित किसी शित के संबंध में जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।
- 8. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधिकारिता का वर्जन। अधीन आने वाले मामलों के संबंध में कोई वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।
 - 9. इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे क्षेत्र को लागू नहीं होगी- छूट।
 - (क) जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 69), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7), भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का केन्द्रीय अधिनियम 9) या किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अधिसूचित के अन्तर्गत है;
 - (ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन है:
 - (ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के बोर्ड तथा निगमों द्वारा स्वामित्वाधीन है :
 - (घ) किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक सैक्टर उपक्रमों द्वारा स्वामित्वाधीन है;
 - (ङ) जहां कोई औद्योगिक इकाई अवस्थित है ;
 - (च) जहां कोई वाणिज्यिक निर्माण, माल, बहुविध, होटल या दावत खाना अवस्थित है,
 - (छ) जहां कोई अन्य प्रकार का निर्माण, जो सरकार द्वारा विहित किया जाए, अवस्थित है।
- 10. सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम नियम बनाने की शक्ति। के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार राज्य के निवासियों की जीवन स्थिति के सुधार के लिए मूल सुख सुविधाएँ जैसे कि पानी की पूर्ति, सीवरेज, बिजली तथा सड़कें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिल नागरिक सुख सुविधाओं और संरचना की कमी तथा उससे सम्बन्धित अन्य मामलों के सम्बन्ध में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिये है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 8 सितम्बर, 2013. सुमित कुमार, सचिव

प्रत्यायोजित विद्यान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 10 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन सम्बन्धित है।

51487--H.V.S.--H.G.P., Chd.